

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अर्शप्रीत कौर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट नम्बर 223 सन् 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/335

मिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-------------	-----------------------------------	---

12.2022

वादिया अर्शप्रीत कौर पत्नी गुरसाहब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। उक्त प्रकरण के सम्बंध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से बिन्दुवार रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा जावे। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.01.2023 को पेश हो।

2

24/01/23

वादिया अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट TDR KDR प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इतपार रिपोर्ट दिनांक 14/02/23 को पेश हो

3

14/2/23

वादिया अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट TDR KDR प्राप्त हुई आग्रेलमिसल की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवेर दिनांक 21/02/2023 को पेश हो

21/2/23

वादिया अधिवक्ता उपस्थित। विणयि अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इस आशय का जारी हो। पत्रावली की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनाथ प्रेषित हो। पत्रावली मिति लेकर नम्बर से कर लेकर वापिस इकतार हो।

अज अदालत (राजस्व)
श्रीकरणपुर

